[25]

कमिश्नर, वाणिज्य कर का समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रेषित, पत्रसं0- वि0व0 -संग्रह /11-12/1112031 दिनांक : 29 जून, 2011

विषय - वैट अधिनियम के अन्तर्गत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश।

उत्तर प्रदेश वैट एक्ट 2008 की धारा- 25, 26,28 एवं 29 के अन्तर्गत कर निर्धारण करते समय अनेकों बार यह स्थिति सामने आती है कि बार-बार नोटिस दिये जाने एवं तामील होने के उपरान्त भी व्यापारी कर निर्धारण की कार्यवाही हेतु उपस्थित नहीं होते हैं। अतः वाद को कालबाधित होने से बचाने हेतु अधिकारी के पास एक मात्र विकल्प शेष रहता है कि वाद में एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न की जाए। अधोहस्ताक्षरी से संज्ञान में आया है कि कतिपय कर निर्धारण अधिकारी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर गुण -दोष के आधार पर मामले का परीक्षण न करके एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण आदेश पारित कर देते हैं, जो कि आपत्तिजनक है। वस्तुतः फर्म /व्यापारी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व और बढ़ जाता है। अतः पूर्व में भी इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि किसी व्यापारी/ फर्म पर कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है तो आदेश पारित करने से पूर्व व्यापारी/ फर्म के व्यापार स्थल की जांच कर ली जाय तथा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/ तथ्यों व व्यापार स्थल की जांच के परिणाम के आधार पर पारित किये जायें।

एकपक्षीय आदेश का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मनमाने तरीके से व्यापारी के विरूद्ध कर आरोपित कर दिया जाये तथा अनुचित मांग सृजित की जाय क्योंकि इस तरह के आदेशों से विभाग की छवि धूमिल होती है। यदि ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है तो उससे अनावश्यक मांग बढ़ जाती है तथा वाद धारा - 32 में खुल जाने पर वसूली प्रमाण पत्र वापस लेने एवं मांग कम करने की कठिनाई भी उत्पन्न होती है।

अतः कृपया अपने जोन के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपर्युक्त दिशा - निर्देशों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट करते हुये उन्हें यह संसूचित करें कि एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण आदेश पारित करने योग्य मामलों में उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में विशेष सावधानीपूर्वक उसके गुण-दोष के आधार पर सम्यक परीक्षण करके ही कर निर्धारण आदेश पारित करें। उपर्युक्त दिशा - निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरतापूर्वक लेते हुये सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।